

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु-6
संख्या- 47बी/क0नि0-6-2018
लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु-6
संख्या- 47बी/क0नि0-6-2018
लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2018

शुद्धिपत्र

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना तथा उसके अभिन्न अंग एनपीए समाधान योजना के लिये मानवशक्ति आदि बिन्दुओं के संबंध में प्रसारित शासनादेश संख्या- 33बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के संलग्नक में योजना भवन स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष में प्रोग्रामर/वेब डिजाइनर के स्वीकृत 05 कार्मिकों के सापेक्ष 02 कार्मिक स्वीकृत किये जाने का उल्लेख लिपिकीय टंकण त्रुटिवश हो गया है। इसलिये अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित उक्त 02 कार्मिक के स्थान पर 05 कार्मिक पढ़ा जायेगा।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव

संख्या-47 बी/क0नि0-6-2018 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 इलैक्ट्रानिक्स।
 3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/सूचना विभाग/कृषि विभाग।
 4. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
 5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 6. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय।
 7. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
 8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 9. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (श्री नील रतन)।
 10. कृषि निदेशक, उ0प्र0।
 11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0, एनआईसी, लखनऊ।
 12. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।
 13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव

2/10/18